

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ 2(6367)/डीओआईटी/संस्था/14/पार्ट/ML-334

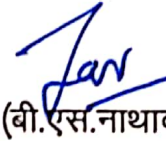
जयपुर, दिनांक: 22.04.2020

कार्यालय आदेश

कोरोना वाईरस की महामारी के मध्यनजर भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में 21 दिवस का लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया गया है। जिसके कारण समस्त परिवहन (रेल, बस इत्यादि) सेवा बंद है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 01124 दिनांक 17.02.2020 एवं 01125 दिनांक 17.02.2020 द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 में सूचना सहायक के पद पर चयनित 34 अभ्यर्थियों को जारी नियुक्ति/पदस्थापन आदेश की निरन्तरता में आवंटित कार्यालय/पदस्थापन विभाग में कार्यग्रहण अवधि में 45 दिवस अर्थात् दिनांक 16 मई 2020 तक अभिवृद्धि की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,



(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)/परीक्षा अनुभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (वैबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
5. संबंधित सूचना सहायक () को उक्त आदेश पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ।
6. संबंधित निजी पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।



तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव